**Hindustan, Delhi**
**Friday, 16th November 2018; Page: 5**
**Width: 24.69 cms; Height: 16.75 cms; a4r; ID: 22.2018-11-16.40**

# केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

राजधानी सहित देशभर में भूख से हो रही मौत के मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों व संबंधित विभागों को इस पर 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने कहा है।

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ ने भूख से हो रही मौत पर रोक की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में सरकार को ऐसी नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है जिससे सभी गरीबों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पीने के लिए स्वच्छ पानी मुहैया हो सके। याचिका में लोगों तक जनवितरण प्रणाली के तहत सभी गरीब लोगों तक निःशुल्क खाद्य पदार्थ और पानी मुहैया कराने की मांग की गई है। मनीष पाठक की ओर दाखिल याचिका में कहा गया है कि झुग्गी-झोपड़ियों में ऐसे बहुत से गरीब है जिनके पास राशन कार्ड नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे भूखमरी और कुपोषण के शिकार हो रहा हैं। याचिका में कहा गया है कि यदि गरीबों को वोट देने का अधिकार है तो राशन पाने का अधिकार क्यों नहीं है। याचिकाकर्ता ने याचिका में दिल्ली में भूख से तीन बहनों की इसी साल जुलाई में हुई मौत के अलावा झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में भूख से हुई बच्चों की मौत का जिक्र भी किया गया है।पूर्वी दिल्ली के मंडालवी इलाके में भूखमरी से तीन बहनों की मौत होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

## भूख से मौत

- हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा
- जनहित याचिका के आधार पर यह आदेश दिया गया